न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

0न0 49 / 2022

दिनांकः– 12.05.2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

अश्वनी कुमार पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम।

(सायल)

बनाम

1. नन्दराम पुत्र फतोली मीना
2. भरतलाल पुत्र फतोली मीना
3. बबलू पुत्र गुटेरी मीना

समस्त जातियान मीना निवासीयान आखावाडा तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (सायल)

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 28.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है क ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1353 / 0.30, 1355 / 0.25, 1358 / 0.21, 1359 / 0.18, 359 / 1744 / 0.04, 1526 / 0.10, 1527 / 0.06, 1528 / 0.06, 387 / 0.19, 388 / 0.13, 389 / 0.05, 90 / 0.15, 392 / 0.15, 393 / 0.15, 413 / 0.13, 414 / 0.13, 415 / 0.07, 416 / 0.05, 417 / 0.11, 42 / 0.10, 443 / 0.13, 453 / 0.12, 497 / 0.21, 521 / 0.25, 614 / 0.04, 657 / 0.19, 671 / 0.08, 72 / 0.04, 800 / 0.05, 811 / 0.10, 989 / 0.25, 990 / 0.15, कुल किता 32 कुल रकवा 4.39 है0 मे ायल 20 / 439 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं शेष हिस्से मे मूल दावे के प्रतिवादी 0 4 ता 22 मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित आराजीयात के 20 / 439 हिस्से को सायल द्वारा मूल दावे के प्रतिवादी 0 14 जमनालाल पुत्र गोरया से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 17.06.2021 को कय कर मनालाल के कब्जे की भूमि ख0न0 413 / 0.13, 415 / 0.07 पर विकेता प्रतिवादी न0 14 मनालाल द्वारा मौके पर केता सायल का कब्जा करा दिया गया और विकेता जमनालाल द्वारा ख0न0 413 मे एक टीन शैड अपने खेती हर साधनो को रखने के लिए बना रखा है। ख0न0 413 को आने जाने के लिये निजी कच्चा रास्ता बना रखा है तथा मौके पर ख0न0 413 व 415 पर कुछ त्थर व बजरी पडी हुई है इस प्रकार ख0न0 413 व 415 पर मौके पर सायल का कब्जा चला आ हा है जिससे गैरसायलान का कोई संबध किसी प्रकार से नही है।

यह है कि सायल एवं गैरसायलान द्वारा मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है, जिसमे ायल का ख0न0 413 व 415 पर कब्जा चला आ रहा है और सायल ने इस वर्ष गेहूँ की फसल ाश्त की है। जिसे सायल द्वारा ही काटी है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही होने के कारण ायल एवं अन्य सहखातेदार गैरसायलान व मूल दावे के प्रतिवादीगण के मध्य खेत के संबध मे ेवाद बना रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

बॉका दिनांक 24.04.2022 का है कि सायल अपनी आराजी पर विधिवत बटवारा कराने के लिए तहसील मे चलकर खातेदारो से बटवारा कराने को कहा तो गैरसायलान न0 1 ता 3 द्वारा हसील मे चलकर विधिवत बटवारा करवाने से साफ इन्कार कर दिया और सायल को अपने हिस्से

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

व कब्जे की आराजी ख0न0 413 व 415 से बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी। सायल ने गैरसायलान न0 1 ता 3 को काफी समझाया लेकिन वे मानने को तैयार नही हुए जिस कारण से यह प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे साबित है। अरथाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अरथाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा सायल वखिलाफ गैरसायलान बावत अरथाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जावे कि ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1353/0.30, 1355/0.25, 1358/0.21, 1359/0.18, 1359/1744/0.04, 1526/0.10, 1527/0.06, 1528/0.06, 387/0.19, 388/0.13, 389/0.05, 390/0.15, 392/0.15, 393/0.15, 413/0.13, 414/0.13, 415/0.07, 416/0.05, 417/0.11, 442/0.10, 443/0.13, 453/0.12, 497/0.21, 521/0.25, 614/0.04, 657/0.19, 671/0.08, 672/0.04, 800/0.05, 811/0.10, 989/0.25, 990/0.15, कुल किता 32 कुल रकवा 4.39 है0 मे वादी के 20/439 हिस्से जिसमे मौके पर ख0न0 413/0.13, 415/0.07 है0 मे गैरसायलान ना तो स्वंय बेदखल करे ना ही किसी अन्य से करावे। एवं सायल को अपने हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, रिकार्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी कुल किता 32 कुल रकवा 4.39 है0 ग्राम आखावाडा मे होना स्वीकार है। मद न0 3 मे वर्णित तथ्य एकदम गलत अंकित किया है। कि जमना लाल ख0न0 413 व 415 पर कब्जा करा दिया हो जब उक्त नम्बरान पर जमनालाल का कब्जा ही नही था तो कब्जा कराने ाक प्रश्न कहा उत्पन्न होता है। सायल के समस्त कथन गलत व हवायी अंकित कर दिये है। गैरसायलान की कब्जे काश्त की आराजी को अपनी आराजी का कथन एकदम गलत अंकित कर दिया है। मद न0 4 गलत व स्वीकार है। सायल द्वारा यह कथन एकदम गलत अंकित करा दिया है कि आराजी का बाहमी बटवारा हो रहा हो। सायल का आराजी ख0न0 413 व 415 से कोई संबध नही है नाही सायल का आराजी पर कब्जा है। मद न0 5 मे समस्त कथन एकदम गलत अंकित किये है। सायल द्वारा इस मद मे समस्त कथन एकदम गलत अंकित किये है। गैरसायलान की कब्जेकाश्त की आराजी को अपनी आराजी का कथन एकदम गलत अंकित कर दिया है। जबाब के विशेष विवरण मे कथन किया है कि सायल द्वारा समस्त मेटेरियल तथ्यो को छिपाते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। सायल का विवादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही खारिज होने योग्य है। गैरसायलान का अन्य आराजी सहित ख0न0 413 व 415 पर कब्जा काश्त का इल्म सायल को भली भांति रहा है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र [illegible] सायल वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी कुल किता [illegible] कुल रकवा 4.39 है0 मे वादी 20/439 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से मे मूल दावे के प्रतिवादी न0 4 ता 22 मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

वर्णित आराजीयात के 20/439 हिस्से को सायल द्वारा प्रतिवादी न0 14 जमनालाल पुत्र गोरया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.2021 को क्रय कर जमनालाल के कब्जे की भूमि ख0न0 413/0.13, 415/0.07 पर विक्रेता प्रतिवादी न0 14 जमनालाल द्वारा मौके पर क्रेता

(सुनीता मीना)

ायल का कब्जा करा दिया गया और विकेता जमनालाल द्वारा ख0न0 413 मे एक टीन शैड अपने ोती हर साधनो को रखने के लिए बना रखा है। ख0न0 413 को आने जाने के लिये निजी कच्चा ास्ता बना रखा है तथा मौके पर ख0न0 413 व 415 पर कुछ पत्थर व बजरी पडी हुई है इस कार ख0न0 413 व 415 पर मौके पर सायल का कब्जा चला आ रहा है जिससे गैरसायलानो का ोई संबध किसी प्रकार से नही है। सायल एवं गैरसायलान द्वारा मौके पर बहामी बटवारा कर रखा . जिसमे सायल का ख0न0 413 व 415 पर कब्जा चला आ रहा है और सायल ने इस वर्ष गेहूँ की सल काश्त की है। जिसे सायल ने ही काटी है लेकिन रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही होने के ारण सायल एवं अन्य सहखातेदार गैरसायलान के मध्य डौल मेड के संबध मे विवाद बना रहता । इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द किया जावे कि वे ायल के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे नाही किसी अन्य से करावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये थन किया कि सायल का यह कहना गलत है कि जमना लाल ने वादी को ख0न0 413 व 415 : कब्जा करा दिया हो जब उक्त नम्बरान पर जमनालाल का कब्जा ही नही है तो कब्जा कराने ा प्रश्न कहाँ उत्पन्न होता है। सायल के समस्त कथन गलत व हवायी है। गैरसायलान की कब्जे ाश्त की आराजी को अपनी आराजी का कथन एकदम गलत अंकित कर दिया है। आराजी का हमी बटवारा नही होने से सायल का आराजी ख0न0 413 व 415 से कोई संबध नही है नाही ायल का आराजी पर कब्जा है। सायल ने कब्जेकाश्त की आराजी को अपनी आराजी का कथन कदम गलत अंकित कर दिया है। सायल द्वारा समस्त मेटेरियल तथ्यो को छिपाते हुये प्रार्थना पत्र ा किया है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। सायल का विवादग्रस्त आराजी पर कोई ब्जा काश्त नही है तथा कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही खारिज होने योग्य है। रसायलान का अन्य आराजी सहित ख0न0 413 व 415 पर कब्जा काश्त का इल्म सायल को भली ति रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का वलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम आखावाडा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे खाता ख्या 293 मे कुल खसरा किता 32 कुल रकवा 4.39 है0 मे वादी 20/439 का खातेदार काश्तकार र्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे अन्य प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार ाश्तकार दर्ज रिकार्ड है। मूल दावे मे खातेदार जमनालाल पुत्र गौरया मीना निवासी आखावाडा ने पने बयानो मे सायल को आराजी विक्रय करने का तथा कब्जा भी कराने का कथन किया है किन खसरा नम्बरान का कथन नही किया है। उक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का तुलन सायल के पक्ष मे साबित है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को पूर्तनीय क्षति होगी जिसमे गैरसायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी। उक्त वेचन से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः आखावाडा की आराजी ख0न0 1353/0.30, 1355/0.25, 1358/0.21, 59/0.18, 1359/1744/0.04, 1526/0.10, 1527/0.06, 1528/0.06, 387/0.19, 388/0.13, 9/0.05, 390/0.15, 392/0.15, 393/0.15, 413/0.13, 414/0.13, 415/0.07, 416/0.05, 7/0.11, 442/0.10, 443/0.13, 453/0.12, 497/0.21, [illegible] 614/0.04, 657/0.19, 1/0.08, 672/0.04, 800/0.05, 811/0.10, [illegible] कुल किता 32 कुल रकवा 39 है0 मे वादी के 20/439 हिस्से जिसमे मौके पर ख0न0 [illegible]3/0.13, 415/0.07 है0 मे रसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे [illegible] दावा फैसला सायल के कब्जे ाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:24:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28 .05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया ाा।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी